ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 343-349

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी कारक एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 मधु यादव

आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद (उ0प्र0) भारत

Received- 04.12. 2021, Revised- 07.12. 2021, Accepted - 14.12.2021 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः ***प्रत्येक सामाजिक समस्या का देश, काल एवं परिस्थितियों से प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अतः समस्या के समाधान हेतु प्रायः तीन दृष्टिकोणों: बहुकारकीय, पारस्परिक सम्बन्ध तथा सापेक्षिकता पर दृष्टिपात करना होता है; क्योंकि किसी भी समस्या के लिए केवल कोई एक ही कारक उत्तरदायी नहीं होता अपितु विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए शोधार्थिनी ने भी शोध समस्या 'दहेज हत्याओं हेतु सापेक्षिक उत्तरदायी कारकों' का अध्ययन एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया है ताकि यह जानकारी की जा सके कि आगरा मण्डल के सात जनपदों में से किस जनपद में दहेज हत्याओं के लिए कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं।***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक समस्या, परिस्थितिया, घनिष्ठ सम्बन्ध, समाधान, बहुकारकीय, पारस्परिक सम्बन्ध।

अनुसंधित्सु ने सभी 300 निदर्श सूचनादाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कारों के द्वारा यह जानकारी हासिल की कि "दहेज हत्याओं के लिए 'आगरा मण्डल' में कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं?" सभी जनपदों के सूचनादाताओं से प्राप्त जानकारी/प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका 6(1) संक्षिप्त प्रकाश डालती है:

तालिका नं. 1: दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी कारकः निदर्शितों के अनुसार

क्रम	दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी कारक	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	सामाजिक	45	15.00
2.	आर्थिक	197	65.67
3.	साँस्कृतिक	30	10.00
4.	मनोवैज्ञानिक	28	09.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(1) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेशण से स्पश्ट है कि अध्ययनार्थ चयनित कुल 300 निदर्शितों में से दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी कारकों के अन्तर्गतः 45(15 प्रतिशत) निदर्शितों ने सामाजिक कारकों, सर्वाधिक 197(65.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने आर्थिक कारकों, 30(10 प्रतिशत) निदर्शितों ने साँस्कृतिक कारकों तथा मात्र 28(9.33 प्रतिशत) निदर्शितों ने मनोवैज्ञानिक कारकों को उत्तरदायी बताया है। 'निष्कर्षतः उ0प्र0 के आगरा मण्डल में की जा रही दहेज हत्याओं के लिए कोई एक कारक नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक–मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी हैं।' अग्रांकित तालिकाएं दहेज हत्याओं हेतु बनाए गए उत्तरदायी कारकों का जनपद सापेक्ष विश्लेषण एवं तत्सम्बन्धित विवेचन दर्शाती हैं–

तालिका नं. 2: दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी सामाजिक कारक

क्रम	दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी सामाजिक कारक	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	नव बधू का सुन्दर न होना	90	30.00
2.	चरित्रहीनता	30	10.00
3.	अशिक्षित होना	66	22.00
4.	सास–ननद के व्यंग्य व ताने	81	27.00
5.	अन्य (पति का अहम, पति का अपमान करना)	33	11.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका के प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल 300 दहेज हत्याओं के प्रकरणों में सामाजिक कारकों में से 90(30 प्रतिशत) निदर्शितों ने बधू का सुन्दर न होना, 30(10 प्रतिशत) प्रकरणों में चरित्रहीनता, 66(22 प्रतिशत) प्रकरणों में बधू का सुन्दर न होना, 30(10 प्रतिशत) प्रकरणों में चरित्रहीनता, 66(22 प्रतिशत) प्रकरणों में बधू का अशिक्षित होना, 81(27 प्रतिशत) प्रकरणों मे दहेज के सन्दर्भ में सास–ननद के व्यंग्य व ताने तथा 33(11 प्रतिशत) प्रकरणों में पति के अहम तथा पत्नी द्वारा पति का अपमानप करना; कारण दहेज हत्याओं के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारक स्वीकार किए गए।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

निम्न तालिका नं. 6(2)ख सर्वेक्षित सभी 7 जनपदों के निदर्शित कुल 300 दहेज हत्याओं के प्रकरणों मे दहेज हत्या हेतु उत्तरदायी सामाजिक कारकों का जनपदों के सापेक्ष वितरण प्रस्तुत करती है–

तालिका नं. 3: दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी सामाजिक कारकों का जनपद सापेक्ष वितरण

क्रम	दहेज हत्याओं के हेतु उत्तरदायी सामाजिक कारक	जनपद सापेक्ष दहेज हत्याओं के प्रकरण							योग
		अलीगढ़	आगरा	एटा	फीरोजाबाद	मथुरा	मैनपुरी	हाथरस	(प्रतिशत)
1.	नव बधू का सुन्दर न होना	15 (05.00)	23 (07.67)	15 (05.00)	14 (04.67)	10 (03.33)	08 (02.67)	05 (01.66)	90 (30.00)
2.	चरित्रहीनता	04 (01.33)	06 (02.00)	03 (01.00)	04 (01.33)	05 (01.67)	05 (01.67)	03 (01.00)	30 (10.00)
3.	अशिक्षित होना	07 (02.34)	09 (03.00)	11 (03.67)	13 (04.33)	14 (04.67)	08 (02.67)	04 (01.33)	66 (22.00)
4.	सास–ननद व्यंग्य व ताने	04 (01.33)	17 (05.67)	13 (04.33)	18 (06.00)	15 (05.00)	10 (03.34)	04 (01.33)	81 (27.00)
5.	अन्य (पति का अहम्, पति का अपमान करना)	03 (01.00)	05 (01.66)	03 (01.00)	05 (01.67)	07 (02.33)	02 (00.66)	08 (02.67)	33 (11.00)
	योग	33	60	45	54	51	33	24	300
	प्रतिशत	(11.00)	(20.00)	(15.00)	(18.00)	(17.00)	(10.66)	(08.00)	(100.00)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दहेज हत्याओं की घटित घटनाओं/प्रकरणों में से बधू के सुन्दर न होने सम्बन्धी कुल 90 प्रकरणों में: अलीगढ़ जनपद में 5 प्रतिशत, आगरा जनपद में 7.67 प्रतिशत, एटा जनपद में 5 प्रतिशत, फीरोजाबाद जनपद में 4.67 प्रतिशत, मथुरा जनपद में 3.33 प्रतिशत, मैनपुरी जनपद में 2.67 प्रतिशत और हाथरस में 1.66 प्रतिशत प्रकरण पंजीकृत पाए गए हैं, चरित्रहीनता सम्बन्धी कुल 30 प्रकरणों में: अलीगढ़, आगरा, एटा, फीरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी तथा हाथरस जनपदों में क्रमशः 1.33 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1.33 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत; अशिक्षित होने सम्बन्धी कुल 66 प्रकरणों में: जनपद वार क्रमशः 2.34 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 3.67 प्रतिशत, 4.33 प्रतिशत, 4.67 प्रतिशत, 2.67 प्रतिशत, 1.33 प्रतिशत; सास ननद के दहेज सम्बन्धी ताने/व्यंग्य सम्बन्धी दहेज हत्या के कुल 66 प्रकरणों में क्रमशः 1.33 प्रतिशत, 5.67 प्रतिशत, 4.33 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 3.34 प्रतिशत तथा 1.33 प्रतिशत एवं अन्य 33 प्रकरणों में जनपद वार क्रमशः 1 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत, 2.33 प्रतिशत, 0.66 प्रतिशत तथा 2.67 प्रतिशत प्रकरण दहेज हत्याओं के पाए गए हैं। तालिका से यह भी स्पश्ट होता है कि (1) दहेज हत्याओं के बधू सुन्दर न होने के सबसे अधिक प्रकरण 7.67 प्रतिशत जनपद आगरा में तथा सबसे कम 1.67 प्रतिशत प्रकरण हाथरस जनपद में पाए गए हैं (2) दहेज हत्याओं के चरित्रहीनता सम्बन्धी सबसे अधिक 2 प्रतिशत प्रकरण आगरा जनपद में तथा सबसे कम प्रकरण 1 प्रतिशत– 1 प्रतिशत एटा तथा हाथरस जनपदों में पाए गए हैं (3) दहेज हत्याओं सम्बन्धी बधू के अशिक्षित होने के कारण 4.67 प्रतिशत जनपद मथुरा में तथा सबसे कम 2.34 प्रतिशत प्रकरण अलीगढ़ जनपद में पाए गए हैं (4) दहेज हत्याओं के बधू से सास ननद के व्यंग्य कसने सम्बन्धी सबसे अधिक 6 प्रतिशत प्रकरण फीरोजाबाद जनपद में और सबसे कम 1.33 प्रतिशत– 1.33 प्रतिशत प्रकरण प्रकरण अलीगढ़ तथा हाथरस जनपदों में पाए गए हैं तथा (5) दहेज हत्याओं के पति के अहम सम्बन्धी सबसे अधिक 2.33 प्रतिशत प्रकरण मथुरा जनपद में एवं सबसे कम 0.66 प्रतिशत प्रकरण हाथरस जनपद में पंजीकृत पाए गए हैं।

चूँकि आर्थिक कारक प्रायः दो प्रकार (1) परोक्ष (2) प्रत्यक्ष; के होते हैं, अतः दोनों प्रकार के आर्थिक कारकों की बजह से वर पक्ष द्वारा की गयी अपनी बन्धुओं की दहेज हत्या सम्बन्धी उत्तरदायी कारणों का अध्ययन आगरा मण्डल के विभिन्न सात जनपदों के सापेक्ष किए गए हैं जिन पर अग्रॉंकित तालिकाएं 6(3)क, 5, 6(3)ग तथा 6(3)घ क्रमशः संक्षिप्त प्रकाश डालती हैं–

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

तालिका नं. 4 : दहेज हत्याओं हेतु परोक्ष उत्तरदायी आर्थिक कारक

क्रम	दहेज हत्याओं के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारक	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	तय दहेज से अधिक दहेज की परोक्षतः मांग करना	58	19.33
2.	तय दहेज से कम दहेज दिया जाना फिर भी शादी कर लेना	56	18.67
3.	विवाह से पहले हैसियत के अनुसार दहेज लेने की कहकर विवाहोपरान्त दहेज की मांग करना	57	19.00
4.	वर के व्यवसाय / रोजगार हेतु अतिरिक्त दहेज की मांग करना	57	19.00
5.	परिवार की समस्त श्रोतों से आय कम होना	47	15.67
6.	अन्य बहाने बनाकर मांग करना आदि	25	05.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका 5: अध्ययन किए गए कुल 300 प्रकरणों में दहेज हत्याओं हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायी आर्थिक कारकों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 5 दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी प्रत्यक्ष आर्थिक कारक

क्रम	दहेज हत्याओं हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायी आर्थिक कारक	आवृत्तियाँ	प्रतिशत	कोटिक्रम
1.	तय किए गए दहेज व धन की पूर्ति न कर पाना	126	42.00	1
2.	सुन्दर व योग्य वर हेतु दहेज व धन के बलबूते पर	83	27.67	2
3.	दूसरी शादी कर दोबारा धन व दहेज लेने हेतु	58	19.33	3
4.	धन का उत्तरोत्तर बढ़ता महत्व	33	11.00	4
	योग	300	100.00	–

तालिका नं. 6: दहेज हत्याओं हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायी आर्थिक कारकों का जनपद सापेक्ष वितरण

क्रम	जनपद	दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी परोक्ष आर्थिक कारक: (निदर्शितों की आवृत्तियाँ / प्रतिशत				योग्य (प्रतिशत)
		तय किए दहेज व धन की पूर्ति न कर पाना	सुन्दर योग्य वर हेतु धन के बलबते, कुरूप व अयोग्य कन्या की शादी कर देना	दूसरी शादी कर दोबारा धन व दहेज लेने हेतु	धन का उत्तरोत्तर बढ़ता महत्व	
1.	अलीगढ़	15 (05.00)	10 (03.33)	06 (02.00)	02 (00.67)	33 (11.00)
2.	आगरा	18 (06.00)	20 (06.67)	12 (04.00)	10 (03.33)	60 (20.00)
3.	एटा	19 (06.34)	10 (03.33)	10 (03.33)	06 (02.00)	45 (15.00)
4.	फीरोजाबाद	32 (10.66)	06 (02.00)	11 (03.67)	05 (01.67)	54 (18.00)
5.	मथुरा	21 (07.00)	17 (05.67)	10 (03.33)	03 (01.00)	51 (17.00)
6.	मैनपुरी	10 (03.33)	16 (05.33)	03 (01.00)	04 (01.33)	33 (11.00)
7.	हाथरस	11 (03.67)	04 (01.33)	06 (02.00)	03 (01.00)	24 (08.00)
	योग	126	83	58	33	300
	प्रतिशत	(42.00)	(27.67)	(19.33)	(11.00)	(100.00)

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेशण के प्रकाश में स्पष्ट है कि अध्ययन किए कुल 300 निदर्शितों में से दहेज हत्याओं के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी आर्थिक कारकों में– सर्वाधिक 126(42 प्रतिशत) प्रकरणों में तय किए गए दहेज व धन की पूर्ति न कर पाना, 83 (27.67 प्रतिशत) प्रकरणों में सुन्दर सुयोग्य वर हेतु दहेज व धन के बलबूते पर अयोग्य व कुरूप कन्या की शादी कर देना, 58(19.33 प्रतिशत) प्रकरणों में दूसरे शादी कर दोबारा धन व दहेज लेने के लिए और मात्र 33(11 प्रतिशत) प्रकरणों में ध न का बढ़तााा महत्व दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी कारक पाए गए हैं। अलीगढ़, आगरा, एटा, फीरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी और हाथरस जनपदों में तय किए दहेज व धन की पूर्ति न कर पाने की बजह से क्रमशः 5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 6.34 प्रतिशत, 10. 66 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 3.67 प्रतिशत, सुन्दर व सुयोग्य वर हेतु कुरूप व अयोग्य कन्या की शादी धन की बलबूते पर कर देने सम्बन्धी क्रमशः 3.33 प्रतिशत, 6.67 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 5.67 प्रतिशत, 5.33 प्रतिशत, 1.33 प्रतिशत, दूसरी शादी कर दोबारा धन व दहेज के लाने सम्बन्धी 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 3.67 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और धन का उत्तरोत्तर बढ़ता महत्व सम्बन्धी 0.6 प्रतिशत, 0.33 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1.33 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत दहेज हत्याओं के निदर्शित प्रकरण हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि (1) तय किए धन व दहेज की पूर्ति न कर पाने की बजह से दहेज हत्याओं के 10.66 प्रतिशत प्रकरण (सर्वाधिक) फीरोजाबाद जनपद तथा सबसे कम 3. 33 प्रतिशत प्रकरण मैनपुरी जनपद में पाए गए हैं (2) सुन्दर सुयोग्य वर हेतु कुरूप व अयोग्य कन्या की शादी कर देने के कारण दहेज हत्या के सर्वाधिक 5.67 प्रतिशत प्रकरण मथुरा जनपद और सबसे कम 1.33 प्रतिशत प्रकरण हाथरस जनपद में पाए गए हैं (3) दूसरी शादी कर दोबारा धन व दहेज लेने के लालच में दहेज हत्या के सर्वाधिक 4 प्रतिशत प्रकरण जनपद आगरा में और सबसे कम 1 प्रतिशत प्रकरण मैनपुरी जनपद में पाए गए हैं एवं (4) धन के उत्तरोत्तर बढ़ते महत्व की बजह से दहेज हत्या के सबसे अधिक 2 प्रतिशत प्रकरण एटा जनपद और सबसे कम 0.67 प्रतिशत प्रकरण अलीगढ़ जनपद में पंजीकृत पाए गए हैं। निम्न तालिका दहेज हत्याओं के लिए उत्तरदायी सामाजिक–साँस्कृतिक कारक।

तालिका नं. 7: दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी सामाजिक–साँस्कृतिक कारक

क्रम	दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी सामाजिक–साँस्कृतिक कारक	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	भौतिकवादी कारक	168	56.00
2.	उपभोक्तावादी कारक	132	44.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दहेज हत्याओं के कुल 300 निदर्श प्रकरणों में से 168(56 प्रतिशत), प्रकरण संस्कृति के भौतिकवादी कारकों तथा 132(44 प्रतिशत) प्रकरण उपभोक्तावादी संस्कृति से सम्बन्धित कारकों के पाए गए हैं। निम्न तालिका नं. 6(4)ख दहेज हत्याओं के सभी 300 निदर्श प्रकरणों हेतु उत्तरदायी सामाजिक–साँस्कृतिक कारकों का जनपद सापेक्ष वितरण दर्शाती है–

तालिका नं. 8: दहेज हत्या के सामाजिक–साँस्कृतिक कारकों का जनपद सापेक्ष वितरण

कारक	अलीगढ़	आगरा	एटा	फीरोजाबाद	मथुरा	मैनपुरी	हाथरस	समस्त
भौतिकवादी	20 (06.67)	35 (11.66)	25 (08.33)	30 (10.00)	26 (05.67)	18 (06.00)	14 (04.67)	168 (56.00)
उपभोक्तावादी	13 (04.33)	25 (08.34)	20 (06.67)	24 (08.00)	25 (08.33)	15 (05.00)	10 (03.33)	132 (44.00)
योग	33	60	45	54	51	33	24	300
प्रतिशत	(11.00)	(20.00)	(15.00)	(18.00)	(17.00)	(10.66)	(08.00)	(100.00)

प्रस्तुत तालिका नं. 7 तथा 8 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में स्पष्ट है कि दहेज हत्याओं के कुल 300 निदर्श प्रकरणों में 168(56 प्रतिशत) प्रकरण भौतिकवादी संस्कृति के कारकों तथा शेश 132(44 प्रतिशत) प्रकरण उपभोक्तावादी संस्कृति के कारकों के कारण पंजीकृत पाए गए हैं। निश्कर्शतः दहेज हत्याएं, उपभोक्तावादी तथा भौतिकतवादी साँस्कृतिक कारकों की बजह से की जाती है। आगरा मण्डल के जनपदों अलीगढ़, आगरा, एटा, फीरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी तथा हाथरस में क्रमशः (1) भौतिकतावादी कारकों सम्बन्धी प्रकरण, 6.67 प्रतिशत, 11.66 प्रतिशत, 8.33 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 8.67 प्रतिशत, 6 प्रतिशत,

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

4.67 प्रतिशत पाए गए हैं, जबकि (2) उपभोक्तावादी कारकों सम्बन्धी प्रकरण क्रमशः 4.33 प्रतिशत, 8.34 प्रतिशत, 6.67 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 8.33 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तथा 3.33 प्रतिशत पाए गए हैं। तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि (क) भौतिकतावादी कारकों की बजह से की गयी दहेज हत्याओं में सर्वाधिक 35(11.66 प्रतिशत) आगरा जनपद में और सबसे कम 14(4.67 प्रतिशत) हत्याऐं हाथरस जनपद में की गयी हैं, (ख) उपभोक्तावादी कारकों की बजह से की गयी दहेज हत्याएं सर्वाधिक 25(8.34 प्रतिशत) जनपद आगरा में और सबसे कम 10(3.33 प्रतिशत) हाथरस जनपद में की गयी है।

निम्न तालिका सभी 300 निदर्श प्रकरणों में दहेज हत्याओं सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक कारकों पर जनपद सापेक्ष वितरण संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 9: दहेज हत्याओं हेतु उत्तरदायी मनोवैज्ञानिक कारकों का जनपद सापेक्ष वितरण

क्रम	सामाजिक–मनोवैज्ञानिक कारक	अलीगढ़	आगरा	एटा	फीरोजाबाद	मथुरा	मैनपुरी	हाथरस	समस्त
1.	दाम्पत्य तनाव	13	21	13	21	14	12	06	100 (33.33)
2.	रोज–रोज आपसी लड़ाई झगड़ा व पारिवारिक कलह	06	15	05	07	13	09	08	60 (20.00)
3.	पति को पत्नी द्वारा अपेक्षित सम्मान न देना तथा असहिष्णुता	08	08	10	11	11	08	04	60 (20.00)
4.	दोनों में निराशा एवं कुंठित भावनाएं	02	10	17	12	07	02	01	51 (17.00)
5.	तानाकशी से क्षुब्ध, संवेग में आकर	02	04	02	02	01	01	04	16 (05.33)
6.	अपने से धनी परिवार में लड़की देने की आकाँक्षाएं	02	02	01	01	05	01	01	13 (04.34)
	योग	33	60	45	54	51	33	24	300
	प्रतिशत	(11.00)	(22.00)	(15.00)	(18.00)	(17.00)	(10.66)	(08.00)	(100.00)

प्रसंगाधीन तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 दहेज हत्या के प्रकरणों में मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण अलीगढ़ जनपद में 33(11 प्रतिशत), आगरा जनपद में 60(20 प्रतिशत), एटा जनपद में 45(15 प्रतिशत), फीरोजाबाद जनपद में 54(18 प्रतिशत), मथुरा जनपद में 51(17 प्रतिशत) तथा मैनपुरी जनपद में 33(11 प्रतिशत) दहेज तथा हाथरस जनपद में 24(8 प्रतिशत) हत्यायें की गयी हैं।

दाम्पत्य तनाव सम्बन्धी सबसे अधिक प्रकरण 21–21 आगरा तथा फीरोजाबाद जनपदों में और सबसे कम 6 प्रकरण हाथरस जनपद में है। पारिवारिक कलह सम्बन्धी सबसे अधिक प्रकरण 15 आगरा जनपद में और सबसे कम 6 प्रकरण जनपद अलीगढ़ में, पति की पत्नी द्वारा अपेक्षित सम्मान न देने के सर्वाधिक 11–11 प्रकरण फीरोजाबाद व मथुरा जनपदों में तथा सबसे कम 4 प्रकरण जनपद हाथरस में, दम्पत्ति में नैराश्य व कुंठित भावनाओं के सबसे अधिक 17 प्रकरण जनपद एटा में तथा सबसे कम 1 प्रकरण जनपद हाथरस में, तानाकशी से क्षुब्ध संवेग के सबसे अधिक 4 प्रकरण जनपद आगरा में तथा सबसे कम 1–1 प्रकरण जनपद मैनपुरी व मथुरा में, और अपने से धनी परिवार में बेटी देने की आकांक्षा के सबसे अधिक 5 प्रकरण जनपद मथुरा में व सबसे कम एक–एक प्रकरण एटा, फीरोजाबाद, मथुरा व मैनपुरी जिलों में पाए गए हैं जिनके कारण बधुओं की दहेज हत्याएं की गई हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

दहेज हत्याओं के प्रति दृश्टिकोण एवं प्रतिक्रियाएं–

(1) शत प्रतिशत निदर्श सूचनादाता 'दहेज हत्याओं' की आलोचना करते पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 'विवाह' तथा 'परिवार' दोनों ही समाज की आधारभूत संस्थाएं दुश्प्रभावित होती हैं; यहाँ तक कि इनकी संरचना व प्रकार्य विघटित हो जाते हैं; और उनकी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जैसी विशेशताएं टुकुर टुकुर ताकती रह जाती हैं क्यों 'विवाह' ही परिवार की मुख्य आधारशिला होते हैं, जब वही बालू की नींव पर खड़ी हो तो उसका ढह जाना स्वाभाविक ही है।

(2) दहेज हत्याओं की बजह से अपराधों में वृद्धि होती है तथा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामुदायिक तथा सामाजिक विघटनों में भी वृद्धि स्वाभाविक ही है।

(3) युवा पीढ़ी, विशेशतः नव बधुओं व किशोरियों की मानसिकता दुश्प्रभावित होती है।

(4) वैयक्तिक एवं पारिवारिक तनावों में वृद्धि के साथ–साथ दाम्पत्तिक सम्बन्धों में कटुआ की भावनाएं पनपती हैं।

(5) महिलाओं में कुण्ठा तथा असुरक्षा की भावनाएं पनपती हैं। आदि; कहा जाता है कि "कन्या" एक रत्न है और 'वर' उस रत्न का उपभोग करने वाला कन्या का न्यास है। पत्नी दान की गयी वस्तु है; और वर उसका रक्षक व स्वामी।"....

....दूसरी ओर कन्या, पिता पर भार होती है; जब तक अविवाहित कन्या पितृगृह में है; पिता की चिन्ताओं का अन्त नहीं होता भले ही उसकी शादी क्यों न हो जाये। भारतीय संस्कृति के सर्वोत्कृश्टता का ढोल पीटने वाले अधिकाँश लोग अपने घरों में आज भी नारी को 'पैर की जूती' समझते हैं।

भाँवरों के समय भरे गए वचन; फेरों से उठने के तुरन्त पश्चात् हवन के धुँए के साथ अन्तरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्येां में 'दहेज' विवाह की अनिवार्य शर्त व हिस्सा बन गया है। दहेज का ढेर यदि ऊँचा है; तो 'बहू' वेशक कुरूप तथा अशिक्षित क्यों न हो; वह न केवल पति अपितु सास–ससुर की आँखों का तारा होती है, और घर में उसका हुक्म चलता है; पतिदेव भी बातें मानते हैं। दूसरी ओर वह महोदय अश्टावक्र, काला और सर्वगुणस सम्पन्न क्यों न हों, तो भी पत्नी उन्हें सुन्दर, सुशिक्षित व सर्वोत्तम ही चाहिए; ऐसी मानसिकताएं बन गयी हैं।

.....पितृकुल की मानसिकता यह है कि 'कन्या' पराया धन है। माता–पिता तो केवल वर के हाथों तक सुरक्षित पहुँचा देने तक के उत्तरदायी है। 'क्या यह भावना; नारी को मात्र दान सामग्री सिद्ध नहीं करती? शायद यही कारण है कि विवाहोपरान्त भी पिता को दहेज का सन्देश लेकर आने वाले का खौफ हर पल सालता रहता है।

.....'उसने अभी एक महीने पहले ही अपनी माँग में सिन्दूर भरा था। सिन्दूर भरकर, कितनी सुन्दर लग रही थी वह.. .....। क्या–क्या सपने थे उसके। जब वह विदा हुई थी; तो बड़ी बूढ़ियों ने विदाई के समय आशीर्वाद तथा आशीश देते हुए गीत गाया था– "बाबुल की दुआएं लेती जा....."।

लेकिन एक महीने में ही उसके चेहरे पर स्याह उदासी उतर आयी; उसके संजोये सपने टूटने बिखरने लगे।..... 'बाबुल की दुआयें' मानो एक अर्थहीन की पंक्ति होकर रह गयी हो....., एक दिन सहसा उसके मायके वालों को खबर मिली कि "अब वह नहीं रही"। .... उसकी नई साड़ी के आँचल ने अचानक आग पकड़ ली; और जल गयी....।' लेकिन क्या सचमुच आग लगने की दुर्घटना हुई थी?सच्चाई कुछ और ही थी.....। सच्चाई यह थी कि उसे कम दहेज या दहेज की माँग की पूर्ति न करा पाने के कारण दहेज की बलिवेदी पर भेंट चढ़ा दिया गया था।

अनुसंधित्सु की मान्यता है कि दहेज हत्याओं के लिए यदि कोई दोशी है, तो हम और आप। लेन–देन, नेग और दहेज न लाने या कम लाने पर तानेकशी भी हम आप ही अधिक करते हैं। जन्म से लेकर बच्चों के लालच–पालन में भी हम लोग लड़का–लड़की के बीच भेदभाव करते हैं। भले ही अब कुछ मान्यताएं बदली हैं लेकिन यह धरातली सत्य है कि एक पिता अपने बेटे से कहीं अधिक दुलार रूपी स्नेह बेटी को ही प्रदान करता है।

विवाहोपरान्त जब दुलार में पली पोशी वही बेटी एक बहू बन जाती है तो यह निर्विवाद सत्य है कि दहेज उत्पीड़न भी महिलाएं ही अधिक करती हैं। वास्तविकता और सच तो यह है कि अक्सर लड़के; दहेज पर इतना जोर नहीं देते, जितना कि माँ–बाप व परिजन देते हैं। कहने का आशय यह है कि दहेज को वाकायदा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। यह एक सच्चाई है कि समाज स्वीकृति का अमीरी–गरीबी से कोई वास्ता नहीं है। यह एक गम्भीर तथा अत्यन्त जटिल प्रश्न है कि इसका समाधान क्या है ? चेतना, जन जागृति, ह्रदय मंथन, क्रोध, पीड़ा, सम्वेदनशीलता, सामाजिक

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा राम (1996)– सामाजिक समस्यायें– महिला अपराध, रावत प्रकाशन, जवाहर नगर, जयपुर (राज0)।
2. कपूर प्रोमिला (1982)– हिन्दुओं पर अत्याचार एवं कानूनी सहायता, समाज कल्याण पत्रिका, समाज कल्याण मंत्रालय,

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

भारत सरकार, नईदिल्ली।

3. रोहतगी सुशीला (1986)– दहेजः इस प्रश्न का उत्तर क्या है? केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, (समाज कल्याण पत्रिका), नई दिल्ली। ऋग्वेद 10.63.1 एवं 10/85–36
4. सक्सेना आर.सी. (1977)– भारतीय परिप्रेक्ष्य में दहेज उत्पीड़न तथा आत्म हत्यायें, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेबलपमेन्ट (पंचवर्षीय प्रतिवेदन) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।
5. सिंह श्यामधर (1986)– वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूलतत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म0प्र0)।
6. अबेरी नूर मुहम्मद (2007)– मुस्लिम परिवार बदलते परिवेश में, जाबेद प्रकाशन, मैरिस रोड़, अलीगढ़।

*****